



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

## प्रेस विज्ञप्ति

राजनांदगांव, 14 जनवरी । छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 12-03/2018/20-दो नया रायपुर दिनांक- 30.06.2018 के अनुसार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन हेतु विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त वरिष्ठता सूची का जिला पंचायत, राजनांदगांव कार्यालय में दिनांक- 14.01.2020 को पृथक पृथक वर्गवार अंतरिम एकीकृत वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है । प्रकाशित अंतरिम एकीकृत वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रामाणिक दस्तावेज सहित दिनांक- 19 जनवरी, 2020 तक दावा आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव में प्रस्तुत कर सकते हैं । निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति अस्वीकार्य होगा । शिक्षक ई संवर्ग (एल.बी.) तथा टी संवर्ग (एल.बी.) की अंतिम एकीकृत वरिष्ठता सूची जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा जिला पंचायत के वेबसाईट [www.zprajnandgaon.gov.in](http://www.zprajnandgaon.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 314 /शि.क./जि.पं./स्था./2020 राजनांदगांव, दिनांक- 15/1/2020  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, दुर्ग ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ।
8. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, राजनांदगांव को विज्ञापन प्रकाशनार्थ ।
9. विकासखंड शिक्षा अधिकारी (सर्व) जिला राजनांदगांव ।
10. कार्यालय सूचना पटल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)